1199

Email : patancollege@gmail.com
Ph. 07826-273675
Fax : 07826-273675

शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विवरणिका

शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
पाटन, जिला – दुर्ग (छ. ग.)

1.00 संस्था का परिचय

वि. वि. अनुदान आयोग से धारा 2(f) एवं 12(B) से मान्यता क्रमांक f – 8–119/91/CPP- 1 दिनांक 10.09.1992 एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्थायी सम्बद्धता का पत्र क्रं. 22/01/1992 है। शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन की स्थापना 16 अगस्त 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन माननीय श्री मोतीलाल वोरा के कर–कमलों द्वारा हुई। स्थापना काल के प्रारंभिक वर्षों से ही महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है।

स्वयं के भवन के अभाव में स्थानीय हाई स्कूल भवन में संचालित यह महाविद्यालय प्रारंभिक कठिनाईयों का सामना करता रहा परन्तु म. प्र. शासन द्वारा लगभग 17.5 एकड़ भूमि ग्राम अखरा पाटन में आबंटित की गयी। तत्कालीन सांसद, माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा सांसद मद से दिये गये अंशदान से पांच कमरों के निर्माण के साथ महाविद्यालय की विकास – यात्रा प्रारंभ हुई। 6 फरवरी 2008 को महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ।

वर्तमान सत्र 2013–14 में महाविद्यालय में 1040 विद्यार्थी अध्ययनरत है। गतवर्ष विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में समस्त कक्षाओं का परिणाम 85 से 90% रहा। महाविद्यालय में 23+4 प्राध्यापक एवं 17 कर्मचारियों का स्टाफ है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है। इस महाविद्यालय को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से संबंद्धता प्राप्त है। पाठ् यक्रम तथा परीक्षा विश्वविद्यालयीन नियमों से क्रियान्वयन होते हैं ।

महाविद्यालय के कला संकाय में स्नातक व स्नातकोत्तर (रजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र , हिन्दी) तथा विज्ञान संकाय के गाणित तथा बायो समूह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर बाटनी, जुलाजी केमेस्ट्री की कक्षाएं संचालित है। वाणिज्य संकाय स्नातक एवं पी. जी. डी. सी. ए. संचालित है।

नवीन ग्रंथालय भवन का लोकार्पण 09/01/2010 माननीय विजय बघेल विधायक पाटन एवं संसदीय सचिव छ. ग. शासन के करकमलों द्वारा तथा डॉ. मनोज देवांगन के विशिष्ट अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस ग्रंथालय का निर्माण यू. जी. सी. मद से लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया। इस महाविद्यालय के पुस्तकालय में 18232 पुस्तकें उपलब्ध है तथा 11 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स उपलब्ध है।

इस महाविद्यालय में आस– पास के 20–25 कि. मी. दूरी से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा से लाभान्वित करते रहने का अथक प्रयास महाविद्यालय द्वारा अनवरत जारी है।

पिछले सत्र में महाविद्यालय के 112 छात्रों ने प्रथम श्रेणी एवं छात्र कु. पूनम ने बी. ए. (5 वां) कु. शालिनी जुलॉजी (3रा) कु. डॉली शुक्ला जुलॉजी (5 वाँ) कु, प्रियंका भूगोल (6 वां) वि. वि. प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। पाठ्येत्तर गतिविधियों में छात्र कु. कोमलता, कु.भारती, कु. होनीता ने क्रास कंट्री नेशनल उदयपुर में भाग लिया। कु. ऐश्वर्य ठाकुर कबड् डी नेशनल वारांगल नेशनल मे भाग लिया। कु. कोमलता एथेलेटिक्स पटियाला में भाग लिया।

महाविद्यालय शोध एवं व्यक्तित्व विकास की दिशा में प्रयासरत् है। इसी उद्देश्य से कतिपय प्रस्तावित कार्यों के संबंध में शासन को पत्र लिखा जा चुका है।

2.00 शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 से होगा : –

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की कक्षाएं प्रातः 10.30 से सायं 5.30 तक संचालित की जायेंगी।

3.00 संकाय एवं विषय : –

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक तथा एम. ए. समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय की कक्षाओं एवं एम. एस. सी. रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र एवं. पी. जी. डी. सी. ए. का अध्यापन किया जावेगा।

3.01 कला संकाय स्नातक (बी. ए.) अध्ययन विषय : –

बी. ए. भाग – 1 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे।

(अ) अनिवार्य विषय (1) आधार पाठ् यक्रम – हिन्दी भाषा (प्रथम) अंग्रेजी भाषा (द्वितीय)

(ब) पर्यावरण अध्ययन –

विशेष : – पर्यावरण अध्ययन विषय को बी. ए., बी. एस. – सी, बी.कॉम भाग एक उत्तीर्ण करने का प्रावधान रखा गया है।

(ब) वैकल्पिक विषय : – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन विद्यार्थी को करना होगा –

(1) समाज शास्त्र	(2) राजनीति शास्त्र	(3) हिंदी साहित्य
(4) अर्थशास्त्र	(5) भूगोल	(6) संगीत गायन कंठ स्वर

नोट : – बी. ए. भाग एक में चयनित विषयों में ही बी. ए. भाग दो एवं भाग तीन की कक्षाओं के लिए प्रवेश की पात्रता होगी।

3.02 कला संकाय – स्नातकोत्तर (एम. ए.) अध्ययन विषय : –

हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों में एम. ए. अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

3.03 विज्ञान संकाय – स्नातक (बी. एस. सी). अध्ययन विषय

(अ) अनिवार्य विषय (1) आधार पाठ् यक्रम – हिन्दी भाषा (प्रथम) अंग्रेजी भाषा (द्वितीय)

(2) पर्यावरण अध्ययन –

(ब) वैकल्पिक विषय : – निम्नांकित दो विषय समूहों में से किसी एक समूह का चयन विद्यार्थी करेगा –

(गणित समूह) – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित।

(बायो समूह) – रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र

3.04 विज्ञान संकाय – स्नातकोत्तर (एम. एस. सी.) अध्ययन विषय : –

वनस्पति शास्त्र , प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संचालित है।

3.05 वाणिज्य संकाय – स्नातक की कक्षायें संचालित है।

3.06 पी. जी. डी. सी. ए. – 1 वर्षाय डिप्लोमा स्नातकोत्तर संचालित हैं।

टीप : – एम. ए. अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी एवं एम. एस. सी. वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, पी. जी. डी. सी . ए. स्ववित्तीय योजनाअंतर्गत संचालित है।

3.01 कला संकाय : –

			निर्धारित सीटें
बी. ए. भाग – 1	2 सेक्शन		300
3.02 एम. ए. पूर्व/ अंतिम राजनिति शास्त्र एवं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी			20 प्रत्येक

3.03 विज्ञान संकाय : –

बी. एस. सी. – भाग – 1	1 सेक्शन	बायोलाजी ग्रुप	60
बी. एस. सी. – भाग – 1	1 सेक्शन	गणित ग्रुप	60
3.04 एम. एस. सी . पूर्व/ अंतिम बाटनी, जुलाजी, केमेस्ट्री			20 प्रत्येक
3.05 बी. काम. भाग – 1	1 सेक्शन	–	60
3.06 पी. जी. डी. सी ए.	1 सेक्शन	–	30

4.00 प्रवेश : –

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना : –

प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात समस्त प्रमाण – पत्रों की छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना होगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्राप्त न होने की स्थिति में अपनी पूर्व संस्था के प्राचार्या द्वारा अभिप्रमाणित पत्र से बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। घोषित अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह तक विलंब शुल्क के साथ प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया जा सकेगा।

4.01 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि : –

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगा। कंडिका 6 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा। किन्तु इसके लिए अभिभावक द्वारा – कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

4.02 पूनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि : –

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पूनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों तक कुलपति की अनुमति के पश्चात

गुणानुक्रम (प्रावीण्यता) में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

4.03 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि : –

स्नातक स्तर भाग 2 एवं भाग 3 में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित प्रवेश संस्था के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी।

4.04 प्रवेश सूची : –

(क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी।जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग – अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

(ख) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण : – पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी

(ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

(घ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाएगा।

(ड) प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ – साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट ज़ारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़–फोड़ आदि से संलिप्त है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

(च) घोषित प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 100/– लिया जावेगा।

4.05 प्रवेश की पात्रता : –

(1) छत्तीसगढ़ के मूल /छ. ग. में संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैं को तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी – जिसका पदांकन छ. ग. में हो – उसके पुत्र /पुत्रियों , जम्मू काश्मीर के विस्थापितों उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(2) किसी भी संकाय से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10 + 2

परीक्षा का तात्पर्य छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडियेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

(3) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, सी. बी. एस. ई. की 10 + 2 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

(4) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम 45% एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतू न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

(5) आयु सीमा : स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

(6) अ. जा. / अ. ज. जा / पिछड़ा वर्ग /विकलांग/ महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहोगी।

(7) बाह्य आवेदकों का प्रवेश – स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्य क्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों, विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य देना होंगा। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

(8) अस्थायी प्रवेश : – अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश स्थान रिक्त ह ोने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा। उपरोक्त की कंडिका (7) के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य होगा।

(9) जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों /अधिकारियों / कर्मचारियों के स ाथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हों / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

(10) महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा छ. ग. शासन द्वारा आदेश प्राप्त है कि ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

4.06 विश्वविद्यालयीन नियम : –

(1) महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राएं इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि मध्यप्रदेश, छ. ग. अथवा मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी नई दिल्ली द्वारा संचालित 10 + 2(बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री – डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।

(2) पात्रता हेतु उन्हें अपने समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं की अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियों, उपाधि, प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर पात्रता हेतु फीस 40 (चालीस रुपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200 (दो सौ रुपये) विलंब शुल्क लगेगा जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होता है उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।

(3) पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। अतः यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।

(4) यदि छ. ग. के बाहर के विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सके।

(5) राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10 + 2 परीक्षा (पांच विषयों में उत्तीर्ण) में उत्तीर्ण छात्र को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता है।

(6) रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर गैर स्वशासी महाविद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।

4.07 प्रवेश हेतु प्राथमिकता : –

(क) प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा – उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

(ग) किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा ।

(घ) आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास/ तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अ ध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावेगा।आवेदक के निवास स्थान/ तहसील/ जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

(इ) गुणानुक्रम : – उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के साथ देय अधिभार जोड़कर गुणानुक्रम निर्धारित होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग – अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

4.08 आरक्षण : –

शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(क) अ. जा. एवं ज. जा. के आवेदकों के क्रमशः 15% तथा 18% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

(ख) पिछड़े वर्ग (चिकने परत को छोड़कर) के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र– पुत्रियों एवं उनके पुत्र– पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहें गे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको के 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(च) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा गया है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम से आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी , शेष संवर्ग की सीटें भरी जीयेंगी।

(छ) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

(ज) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

4.09 संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन : –

(क) महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होगा।

(ख) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के सं काय/ विषय ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5% अंक घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

4.10 अधिभार : –

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ

संलग्न करना अनिवार्य है। अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक ही देय होगा।

एन. सी. सी./एन. एस. एस. / स्काउट (स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स) : –

(क)	एन. एस. एस./एन. सी. सी. ए सर्टिफिकेट	– 2 प्रतिशत
(ख)	एन. एस. एस./एन. सी. सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 3 प्रतिशत
(ग)	एन. सी. सी./सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालनीय एन. सी. सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र	– 4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन. सी. सी./ एन. एस. सी. कन्टिनजेन्ट में	– 4 प्रतिशत
	भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	–5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	–5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–5 प्रतिशत
(झ)	द्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. केडेट	–10 प्रतिशत
(ट)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन. सी. सी./एन. एस. एस. के तहत	
	चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को /अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित विद्यार्थी को	–15 प्रतिशत
(ठ)	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	–10 प्रतिशत

4.11 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज/ रुपांकन प्रतियोगितायें : –

1.	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 2 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 4 प्रतिशत
2.	म. प्र. /छ. ग. शासन ने मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	–
	(क) छ. ग. /म. प्र. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	–10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ. ग. राज्य की टीम के सदस्यों को	–12 प्रतिशत
3.	उपरोक्त कंडिका 11.3(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए. आई. यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	–2 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 7 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को	– 5 प्रतिशत
	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –	
(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले को	–15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के स दस्यों को	–12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–10 प्रतिशत
5.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत	–10 प्रतिशत

विज्ञान/सांस्कृतिक / साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

6. जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को —1 प्रतिशत

4.12 विशेष प्रोत्साहन : –

एन. सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाय जिनकी पात्रता है। बशर्ते कि : –

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण, छ. ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्योदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दुबारा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावें गे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

5.00 प्रवेश शुल्क की मद एवं दरें : –

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को शासकीय /अशासकीय एवं विश्वविद्यालीन शुल्क देने पड़ेंगे। इन शुल्कों की दरें निम्नांकित है –

		रुपये
(अ)	**शासकीय शुल्क –**	
1.	पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क	117.00
2.	महाविद्यालयीन लेखन शुल्क	2.00
3.	प्रवेश शुल्क	3.00
4.	प्रायोगिक शुल्क	20.00
(ब)	**अशासकीय शुल्क : –**	
1.	छात्रसंघ शुल्क	5.00
2.	निर्धन छात्र कल्याण निधि शुल्क	5.00
3.	परिचय – पत्र शुल्क	5.00
4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
5.	साइकिल स्टैंड शुल्क	10.00
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	20.00
7.	क्रीड़ा शुल्क	12.00
8.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	10.00
9.	चिकित्सा शुल्क (स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क)	3.00
10.	वाचनालय	स्नातक 60.00, स्नातकोत्तर 35.00
11.	सुरक्षा निधि	स्नातक 60.00, स्नातकोत्तर 100.00
12.	महाविद्यालय छात्रा कामन रुम शुल्क	5.00
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00
14.	रेडक्रास शुल्क	25.00
15.	महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	35.00

(स) विश्वविद्यालयीन पत्रिका शुल्क : –

1.	विश्वविद्यालय खेल – कूद	150.00
2.	नामांकन शुल्क **	200.00

(द) जनभागीदारी शुल्क

1.	स्नातक	450.00
2.	स्नातकोत्तर	500.00

स्ववित्तीय – एम. एस. सी. व एम. ए. भूगोल 7000.00 तथा एम. ए अर्थशास्त्र हिन्दी 5000.00, पी. जी. डी. सी. ए. 10000.00

* छात्र/छात्राओं द्वारा जमा राशि अमानत राशि (सुरक्षा निधि) महाविद्यालय छोड़ते समय अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जावेगी।

** अप्रवासन शुल्क – उन छात्र/छात्राओं को देय होगा, जिन्होंने छ. ग. के बाहर से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्णकी हो।

5.01 अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं के लिए अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के लिए शुल्क

बी. ए./बी. एस. सी. की प्रायोगिक कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में विशेष प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय का प्रवेश फार्म भरना होगा एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

शासकीय शुल्क	30.00
प्रायोगिक विषयों के लिए (प्रति विषय)	60.00
अध्यापन शुल्क	60.00
सुरक्षा राशि	100.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00

टीप : – छात्रों को पूरे सत्र का शैक्षणिक शुल्क प्रवेश के स मय भुगतान करना अनिवार्य है। जनभागीदारी शुल्क अतिरिक्तदेय होगा।

5.02 शुल्क एवं रियायतें : –

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे। उक्त छूट हे तू उन्हें जाति विषयक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। यह छूट प्राप्त करने के पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा को जिस कार्यालय में उनके माता /पिता सेवारत हो, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि दो या अधिक भाई– बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें बड़े को पूर्ण शुल्क और शेष का आधा शुल्क देना होगा।
4. महाविद्यालय की छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट दी गई है।

5.02 अमानत राशि सुरक्षा निधि प्राप्त करने के लिए नियम –

1. महाविद्यालय को छोड़ने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ज़मा सुरक्षा निधि देय होगी।
2. अमानत राशि निकालने कआवेदन पत्र पूर्ण रुप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिनों पूर्व जमा करें
3. परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि का भुगतान सामान्यतः सप्ताह में दो दिन ही किया जावेगा।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के अंदर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 3 वर्ष के

पश्चात शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेगी।

नोट : – शुल्क के संबंध में यदि शासन से संशोधित नियम प्राप्त होते है तो उन्हें पृथक से सूचित किया जावेगा।

6.00 परिचय पत्र एवं उपयोग : –

प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को एक परिचय पत्र दिया जावेगा। छात्र– छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में छात्र–छात्रा को किसी भी शिक्षक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक एक पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र– छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र – छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र–छात्रा को रु. 5.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

7.00 अनुशासन : –

इस महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परंपरा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों, कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध मानी जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिये कक्षाओं में सभी विषयों में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, तथा वे महाविद्यालय परिवार में किसी प्रकार की अभद्रता नही करेंगे। अन्यथा ऐसे मामले में उनके प ालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगी। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में या बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बनायें रखेंगे तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों एवं आचरण संहिता का पालन कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे।

7.01 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालयीन अधिनियम : –

म. प्र. विश्वविद्यालयीन नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा के अनुसार महाविद्यालय के ऐसे छात्र–छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है जो महाविद्यालय में या बाहर अनुशासन भंग करते हैं। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है –

1. निलंबन, 2. निष्कासन, 3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

7.02 छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 : –

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा । दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अ न्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

8.00 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं –

छात्र–छात्राओं को अधिकाअधिक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु महाविद्यालय निम्नांकित सुविधाएं है –

1. सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र – प्राचार्य द्वारा मनोनीति प्राध्यापकों /ग्रंथपाल के म ार्गदर्शव में विद्यार्थियों की मानसिक व

शारिरिक क्षमता के अ नुरूप उचित पथ प्रदर्शन, रोजगार के अवसर विभिन्न सेवाओं में रिक्त पदों की सूचना देने हेतु यह केन्द्र कार्य करता है।

2. पुस्तकालय– महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा ज्ञानार्जन की दृष्टि से उपलब्ध है। परिचय पत्र के आधार पर प्रति छात्र दो पुस्तकें निर्गमित करवा सकता है।

समस्त विषयों के औपचारिक अध्ययन के अलावा छात्रों को विभिन्न पत्र पत्रिकाएं प्रतियोगी पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार एवं रोजगार नियोजन का लाभ वाचनालय के द्वारा प्राप्त होता है।

3. पुस्तकालय के सामान्य नियम : –

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन के अवधि के लिए एक पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार ही पुस्तकालय से पुस्तकों को लेन– देन करना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 किन की अवधि के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात् पुस्तके वापस नहीं करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्रों को चाहिए की पुस्तकें निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के पृष्ठ कटे– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें ।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/ पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहंचाना दण्डनीय है।
5. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नहीं लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें जमा करने पर वापस लौटा दी जावेगी
6. छात्र – छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं में स्वतः अवगत होते रहें।

8.01 बुक बैंक योजना : –

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निर्धन छात्र निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अध्ययन हेतु पुस्तकें प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

8.02 स्वास्थ्य परीक्षण

महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण समय– समय पर किया जाता है। महाविद्यालय की यूथ रेडक्रास सोसायटी, स्वास्थ्य विभाग आदि के सहयोग से स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन महाविद्यालय करता है।

9.00 छात्रवृत्तियां : –

महाविद्यालय में उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण –

क्र.	छात्रवृति/शिष्यवृत्ति	अवधि	वार्षिक दर	योग्यता	न्यूनतम आय
(क)	भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय				
1.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्नातक छात्रा छात्रावासी रु. 220/– से कम	3 वर्ष	650/–	हा. से. उ. 50%	माता/पिता की वार्षिक आय 6000/
2.	प्राथमिक एवं मा. शालाओं के शिक्षक गैर छात्रा के बच्चों को रा. छात्रवृत्ति	3 वर्ष	650/–	हा. से. उ. 650%	माता/पिता की वार्षिक 6000/–से कम
(ख)	छ. ग. शासन शिक्षा विभाग –				
1.	स्नातक उपाधि छात्रवृत्ति	3 वर्ष	गै. छात्रा 500/ छात्रावासी 600/–	हा. से. उ. 60%	आय बंधन नहीं है
2.	स्नातक योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति	3 वर्ष	गै. छात्रा 500/	हा. से. उ.	अधिकतम वार्षिक आय

			छात्रावासी 600/	60%	6000/छात्रवृत्तियां
3.	गायन तथा वादन नृत्य	2 वर्ष	1000/–	हा. से. उ.	आय का बंधन नहीं
4.	खेलकूद छात्रवृत्ति	1 वर्ष	500/		वि. वि. खेल कूद समारोह में किए गए प्रदर्शन व योग्यता के आधार पर
5.	राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर छात्रवृत्ति	1 वर्ष	500/		राष्ट्रीय छात्र सेना के वार्षिक शिविर में दिखाई गई योग्यता के आधार पर
6.	मृत शासकीय या विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को	2 वर्ष	500/	पिछली परीक्षा उ.	अधिकतम वार्षिक आय 5000/
7.	विशेष 3 वर्ष शिष्यवृत्ति स्नातक		750/	पिछली परीक्षा उ.	अधिकतम वार्षिक आय 6000/
8.	मृत सैनिकों के ब च्चो को मिलने वाली शिष्यवृत्ति		गै. छात्रा 650/– छात्रा 1000/–	पिछली परीक्षा उ.	अधिकतम वार्षिक आय 6000/–
9.	डाकुओं तथा डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति	3 वर्ष 2 वर्ष	गै. छात्रा 500/ छात्रावासी 750/ – गै. छात्रा 750 /– छात्रावासी 1000/–	अधिकतम आय	6000/–
10.	निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रावासी तथा एकमुश्त		छ. ग. शासन एकीकृत छात्रवृत्ति नियम पुनरीक्षित के नियमों के उपलब्धों न आने वाले विशेष मामलों में छ. ग. स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत योग्य छात्रों को योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित दर से विशेष छात्रवृत्तियां या एकमुश्त दिया जावेगा।		
11.	पितृहीन कन्याओं के लिए छात्रवृत्तियां का प्रावधान	3 वर्ष	7000/–		
12.	छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी				
	मेट्रीकोत्तर छात्रवृत्ति –				
	पिछड़ा वर्ग	नवीन	लड़का 70.00 (प्रतिमाह)		लड़की 85.00 (प्रतिमाह)
		नवीनीकरण	85.00 (प्रतिमाह)		85.00 (प्रतिमाह)
	अनु. जाति	नवीन – नवीनीकरण	लड़का 300 . 00 (प्रतिमाह)		लड़की 300. 00 (प्रतिमाह)
	अनु. जन जाति		लड़का 300 . 00(प्रतिमाह)		लड़की 300. 00 (प्रतिमाह)
2.	स्नातकोत्तर कक्षाओं	नवीन /नवीनीकरण			
		पिछड़ा वर्ग	100.00(प्रतिमाह)		लड़का/लड़की
		अनु. जाति	300.00 (प्रतिमाह)		लड़का/लड़की

पी. जी. डी. सी. ए	530.00(प्रतिमाह)	लड़का/लड़की
अनु. जन जाति	300.00 (प्रतिमाह)	लड़का/लड़की
पी. जी. डी. सी. ए.	530.00 (प्रतिमाह)	लड़का/लड़की

बी. पी. एल. छात्रवृत्ति

स्नातक स्तर पर	–	300.00 प्रति माह	10 माह के लिए
स्नातकोत्तर स्तर	–	500.00 प्रति माह	10 माह के लिए

नोट : – 1. अपूर्ण या गलत प्रपत्र, अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले प्रथम अमान्य कर दिये जायेंगे।

2. उपरोक्त नियमों आय पात्रता आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक में लगा दिया जाएगा।

3. छात्र के पालक की आय मूल वेतन को मानी जायेगी। 4. यदि विद्यार्थी विगत वर्ष से छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उसे नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रपत्र लेकर जुलाई माह में फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

10.00 यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय के विकास हेतु राशि आबंटित की जाती है, इसी तारतम्य में नवीन ग्रंथागार की स्थापना की गई। महिला छात्रावास निर्माणाधीन है एवं सभागार भवन का प्रस्ताव भी भेजा गया है जिसके निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति की प्रतिक्षा है।

11.00 पाठयेत्तर गतिविधियां : –

11.01 छात्रसंघ

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रसंघ का गठन किया जाता है। यह संघ पूर्णतया प्राचार्य के मार्गदर्शन में कार्य करता है। छात्रसंघ का महाविद्यालयीन विकास, व्यक्तित्व विकास, अध्ययन, शैक्षणेत्तर गतिविधियों में सक्रिय योगदान रहता है।

11.02 खेलकूद : –

छात्र – छात्राओं की अनुसूची व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गई है। खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त है।

महाविद्यालय में एक क्रीड़ा समिति गठित की जाती है , जिसके माध्यम से खेलकूद से संबंधित गतिविधियों का सुचारु रुप से संचालन एवं नियंत्रण होता है। महाविद्यालय में खेलकूद संबंधी सुविधाओं में इनडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों की सुविधा है।

आउट डोर	–	क्रिकेट, व्हालीबाल, कबड्डी, खो–खो, एथलेटिक्स
इनडोर	–	टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बेडमिंटन

महाविद्यालय में खेलकूद संबंधी उपलब्धियां प्रशंसनीय रही। महाविद्यालय की छात्रा कु. भुनेश्वरा रिंगवानी ने क्रास कंट्री रेस में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। लेखराज सर्वश्रेष्ठ एथलीट राजेश्वरी मस्तावर – महिला कबड् डी, संजय यादव, क्रास कंट्री रेस, कबड् डी इस तरह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर छात्र– छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया। प्रतिभावान खिलाड़ियों को ट्रेक सूट प्रदान किया जाता है व प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। वर्ष के अं त में वार्षिक खेल– कूद स्पर्धा भी कराई जाती है।

11.03 राष्ट्रीय सेवा योजना : –

छात्र – छात्राओं को कर्म के प्रति निष्ठा, समाजसेवा, जन कल्याण, चरित्र निर्माण की भावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) की इकाई संचालित है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के साथ – साथ समजसेवा का अवसर प्राप्त होता है। महाविद्यालय में 100 छात्रों की एक इकाई संचालित है। विद्यार्थी रचनात्मक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई अशिक्षा, अस्वच्छता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत होने वाले स्वयंसेवकों को उनकी नियमित गतिविधि के रुप में प्रतिवर्ष 120 घंटे समाज कल्याण कार्यों में भाग लेना आवश्यक होता है। रासेयो स्वयं सेवक को विशेष प्रशिक्षण शिविर के अं तर्गत 7 दिवसीय का शिविर में भाग लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत बी एवं सी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं ।

11.03(अ) नेशनल केडेट कतोर : –

विद्यार्थियों में देश प्रेम, सेवा, चरित्र निमार्ण, अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास के गुणों का विकास करने के साथ सैनिक प्रशिक्षण एवं समाज सेवा के अवसर प्रदान करने हेतु गर्ल्स बटालियन 53 वेकेंसी संचालित होगी।

एन.सी.सी. का ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन इस संगठन के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट करता है।

एन.सी.सी. के मूल उद्देश्य सैनिक प्रशिक्षण के साथ–साथ साहसिक पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग अभियान, समाजसेवा, वृक्षारोपण, रक्तदान आदि जनहित कार्यक्रमों को प्रशिक्षण में जोड़ा गया है।

पंजीकृत छात्राओं को नियमित गतिविधि तथा विशेष शिविर 10 दिवसीय कैम्प में भाग लेना आवश्य है इस योजना के अन्तर्गत "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते है जिसका लाभ महाविद्यालय में प्रवेश व शासकीय नौकरियों में अधिभार के रुपम मे लाभ मिलेगा।

11.04 यूथ रेडकास सोसायटी : –

पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से 21/08/2006 को यूथ रेडकास सोसाइटी की स्थापना की गई। महाविद्यालय में यूथ रेडकास समिति एवं रेडरिबन क्लब का गठन भी किया गया। जिसमें लगभग 20 छात्र– छात्राओं का एक दल बनाया गया।

यूथ रेडकास सोसायटी के अं तर्गत छात्र–छात्राओं को विशेष जानकारी के तहत व्याख्यान कराये जाते है। निःशुल्क रक्त एवं स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन महाविद्यालय छात्रों के विकास एवं रोजगारोन्मुखी दृष्टि से करवाया गया जिसमें 26 छात्र– छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारियों से भी अवगत कराया गया जिसमें हृदयघात, एड्स, मुंह का कैंसर, डायबिटिज आदि गंभीर बिमारियों की प्राथमिक एवं उनकी रोकथाम संबंधी प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त कराया गया।

11.05 विज्ञान क्लब

विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की तार्किक, जिज्ञासा, अनुसंधान और अन्वेषण की प्रवृत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय का विज्ञान क्लब, पोस्टर मॉडल, आलेखों व्याख्यानों के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करता है।

11.06 साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां –

औपचारिक शिक्षण के अलावा, छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभओं को विकसित करने के उ द्देश्य से

(1) निबंध, तात्कालिक भाषण , प्रश्न – मंच।

(2) केशसज्जा, रंगोली, मेहंदी, पुष्प सलाद सज्जा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। वार्षिक सांस्कृतिक

गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गायन, वादन, नृत्य अभिनय कलाओं का प्रदर्शन स्नेह सम्मेलन के मंच पर होता है।

11.07 परिषदों का गठन : –

महाविद्यालय की राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र की गठित परिषदों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वयं सक्रियता, प्रबंधन कर्त्तव्यनिष्ठा के गुण विकसित होते है। समय– समय पर अतिथि विद्वानों के प्रेरक व्याख्यानों को आयोजन ज्ञानार्जन हेतु किया जाता है।

11.08 निःशुल्क कोचिंग –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के त हत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आई. ए. एस. राज्य लोक सेवा , बैंक भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था महाविद्यालय करता है। इस योजना के लिए 78 विद्यार्थियों के आवेदन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को भेजे गये

12.00 महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. छात्रों को समय– सीमा में शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
4. यदि छात्र किसी गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

13.00 आंतरिक परीक्षा संबंधी नियम –

(क) विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं , त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(ख) अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा होगी।

(ग) परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

14.00 छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में छात्रों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम : –

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ् येत्तर गतिविधियों में भी भाग लेना आवश्यक है।
2. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों , अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में यह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार , असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है।

7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा
8. महाविद्याल की दीवारों, कोनों अथवा परिसर में थूकना, दीवारों को गंदा करना, गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
9. रैगिंग करते किसी भी छात्र/छात्रा को पाया गया तो आरक्षी केन्द्र में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जायेगी।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

15.00 अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा एन. सी. सी. / एन. एस. एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ– सूथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढ़ग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग आदि को तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

16.00 छात्र / छात्राओं के लिए विशेष सुचना : –

1. महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश की प्रथम शुल्क रसीद संभालकर रखें।
2. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र अनिवार्य रुप अपने पास रखना होगा एवं समय– समय पर प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
3. कक्षाओं में अध्यापन के समय इधर– उधर घूमना तथा अध्ययन– अध्यापन में किसी भी तरह बाधा पहुंचाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने सहपाठियों और प्राध्यापकों से शिष्टातापूर्वक व्यवहार करेगा।
5. किसी भा विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
6. दोषी छात्र दंड के भागी होंगे। अर्थदण्ड कक्षा से निष्कासन या अन्य दण्ड से दंडित किया जा सकता है।
7. विद्यार्थियों के क्रिया–कलापों के संबंध में इनके पालकों को बुलाया जा सकेगा।

17.00 आवश्यक सूचनाएं –

1. प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन स्वीकृत हों गे।
2. प्रविष्ठ विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है। कम उपस्थिति होने पर महाविद्यालय से नाम निरस्त कर दिया जायेगा या नियमित विद्यार्थी के रुप में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरुद्ध आचरण करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
4. आश्रम एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में संशोधन होने पर नवीन नियमों के अनुसार प्रवेश होगा।

18. 00 विशेष : –

1. गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों , प्रशासकीय अथवा कार्यलयीन आदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
2. प्रवेश लेकर किसी समूचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों के लिए विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्पादन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अ तिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
5. इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय – समय पर परिवर्तन/ संशोधन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

19.00 नियमित विद्यार्थियों के रूप में विश्वविद्यालयीन परीक्षा में बैठने की पात्रता –

1. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षाओं में त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन. एस. एस./ खेलकूद/ राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाएगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2014 तक जाएगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2015 तक की जायेगी।

20.00 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने व जनसामान्य की सुविधाओं और हक को ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया –

अब कोई भी व्यक्ति किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय कार्यालयों से जानकारी मांग सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 रुपये शुल्क आवेदन के साथ पटाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रति पेज जानकारी के लिए दो रुपये नगद , सी. डी. या फ्लापी प्राप्त करने के लिए 50/ – शुल्क है। आवेदन शुल्क नगद, मनीआर्डर, बैंक चालान अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प द्वारा भर सकते हैं। गरीबीरेखा कार्डधारियों के लिए यह शुल्क नहीं लगता। मांगी गई जानकारी 30 दिनों के भीतर कार्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा दी जायेगी। जनसूचना अधिकारी महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे।

21.00 छ. ग. लोक सूचना गारंटी अधिनियम 2012 –

छ. ग. लोक सूचना गारंटी अधिनियम महाविद्यालय के सूचना पटल पर विस्तृत जानकारी दर्शायी गयी है।

22..00 महिला छात्रावास – महाविद्यालय में 20 बिस्तर का महिला छात्रवास निर्मित हुआ है।

छात्रावास में प्रवेश नियम आचरण संहिता आदि